न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।

जमानत आवेदन सं0–272/2026

खगड़िया रेल थाना काण्ड सं0–55/25

सुमन यादव – बनाम् – राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

18.03.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त–**सुमन यादव** की ओर से खगड़िया रेल थाना काण्ड सं0–55/25, धारा–303(2), 317(5) BNS के अन्तर्गत दर्ज मामले में, यह जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो शपथ–पत्र से समर्थित है, को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार के द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 12.10.2025 से कारा अभिरक्षा में है।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक की ओर से अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उसको द्वेष एवं स्थानीय राजनीति के कारण इस झूठा फंसाया गया है। कथित धाराएं आवेदक के विरूद्ध आकर्षित नहीं होता है। आवेदक के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। जब्ती सूची बनावटी है। आवेदक मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार है तथा फरार नहीं होगा। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ देने का निवेदन करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

सूचक के टंकित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक–11.10.25 को समय 02:25 बजे से बल के साथ सूचक रेलवे स्टेशन खगड़िया प्लेटफॉर्म सं0–01 से चेकिंग करते हुये दो व्यक्ति पर संदेह होने पर साथ के बल को सतर्क करते हुए उक्त व्यक्ति को बल के सहयोग से घेरकर पकड़ लिये। पकड़ाये दोनों व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना–अपना नाम क्रमशः सुमन यादव एवं सुजीत कुमार बताया। पकड़ाये दोनों व्यक्ति के बदन का तलाशी लेने हेतु कोई भी यात्री साक्षी बनने को तैयार नहीं हुये, तत्पश्चात् साथ के बल सिपाही को साक्षी मानकर विधिवत् तलाशी नियमों का पालन करते हुए सुमन यादव के पहने हुए पैंट के दाहिने पॉकेट से एक काले रंग का वीवो कंपनी का स्क्रीनटच मोबाईल सिम सहित बरामद हुआ। बरामद मोबाईल से संबधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये और ना

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।
जमानत आवेदन सं0–272/2026
खगड़िया रेल थाना काण्ड सं0–55/25

लगातार
18.03.2026

हीं भविष्य में प्रस्तुत करने की बात बताये। पूछताछ करने पर पकड़ाये उक्त दोनों व्यक्ति ने बताया कि उक्त मोबाईल ट्रेन में यात्री का चोरी किया हुआ है। विधिवत् जब्ती सूची बनाई गयी तथा गिरफ्तार किया गया।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में आवेदक सहित एक अन्य सह–अभियुक्त के विरूद्ध ऊपरी अंकित धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदक/अभियुक्त के कब्जे के कब्जे से चोरी का स्कीनटच मोबाईल सिम सहित बरामद हुआ है। जब्ती सूची का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। जमानत आवेदन के पारा–3 के अनुसार, आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पूर्व में सह–अभियुक्त सुजीत कुमार को इस न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन सं0–1106/25 के माध्यम से दिनांक 29.11.2025 को जमानत प्रदान किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 12.10.2025 (लगभग 05 माह 06 दिन) से कारा अभिरक्षा में है, ऐसी दशा में उसे जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को मो0–10,000/– (दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्त का दोनों जमानतदार उसके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

संजय कुमार

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	18.03.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	19.03.26
Uploading by	Nikhil Kumar (D.C.O)